15/5/24.	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा -212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश हुयी है। प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जे की क्रयशुदा भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा की सीमा, अप्रार्थीगणों की दर्ज रिकार्ड भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 16 बिस्वा, गैर मुमकिन गैल जैसा बोहरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:43:04 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम

श्रीपति अधिक बनाम मोहनलाल

संख्या / वर्ष : वा. 1317/24 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15/5/24	तहसील व जिला जयपुर से लगती हुयी है। यदि अप्रार्थीगणों को पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण सीमाजोड़ को परिवर्तित करेंगे तो प्रार्थीगणों को अपूरणीय क्षति कारित होने की पूर्ण संभावना है। अप्रार्थीगण अधि० ने अपनी बहस में अभिकथन किया कि अप्रार्थीगण ~~अपने~~ अपनी कब्जे काश्तशुदा आराजी खसरा नम्बर 127 पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनाकर काबिज है। प्रार्थीगण का, खसरा नं. 136 की पश्चिमी दिशा में स्थित 13 बिस्वा भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, अतः कब्जा काश्त के अभाव में, प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित नहीं होता और सुविधा का संतुलन भी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:43:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (उ)

श्रीमतिभगवानी बनाम श्रीगिरधारीलाल

मुकदमा संख्या / वर्ष 81/18 /20

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/5/24	प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने के कारण प्रार्थिया का प्रा० पत्र खारिज फरमाया जावे। उभयपक्षों की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थना-पत्र के चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित विवादित भूमि खसरा नम्बर 136, ग्राम नांगल जैसा बोहरा में स्थित है, जिसकी सीमा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 127 से लगती हुयी है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 15/2/2018 को हुआ है। अतः उपर्युक्त विवादित भूमि खसरा नं. 127 व 136, ग्राम-

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:43:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर जयपुर शहर (उ)

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

श्रीपति [illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या / वर्ष : [illegible] / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15/5/24.	नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर पर ताफेतला वाद उभयपक्षों इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि उपर्युक्त विवादित भूमियों की सीमा पर सीमाज्ञान कार्यवाही दिनांक 15/2/2018 द्वारा तहसीलदार तह० जयपुर के अनुसार तय की गयी सीमा पर, मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे। सीमा में परिवर्तन नहीं करें और ना ही सीमा से 25-25 फीट तक कोई नवीन निर्माण करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:43:04 IST
Reason: SelfAttested